जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम

नए कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर आवंटन और जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने की नई प्रकिया निर्धारित, एक जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी नई प्रकिया

जयपुर 27 जून। नए बिजली कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के आवंटन और जले व खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा नई प्रकिया निर्धारित कर बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं और इस प्रकिया की पालना हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह प्रकिया एक जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि नए कनेक्शन में ट्रांसफार्मर आवंटन और जले/खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा नई प्रकिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं एवं आमजन को ट्रांसफार्मर की वजह से परेशानी नही हो।

नई प्रकिया के अनुसार सहायक अभियन्ता ओ एण्ड एम द्वारा नए कनेक्शन और जले/खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता के बारे में प्रतिदिन अधीक्षण अभियन्ता–निरीक्षण एवं भण्डार तथा अधीक्षण अभियन्ता–ओएण्डएम को ई–मेल से निर्धारित फारमेट में सूचना भेजी जाएगी। ई–मेल से सूचना प्राप्त होते ही अधीक्षण अभियन्ता–निरीक्षण एवं भण्डार द्वारा उपभोक्ता व फीडर इंचार्ज से मोबाईल नम्बर पर इसका सत्यापन कर उपभोक्तानुसार सहायक भण्डार नियंत्रक को ट्रांसफार्मर आवंटित कर दिए जाएगें। इसके बाद सहायक भण्डार नियंत्रक द्वारा कन्ज्यूमरवाईज आवंटिंत किए गए टांसफार्मर को सहायक अभियन्ता–ओएण्डएम को जारी कर दिए जाएगें।

सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता–ओएण्डएम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए टांसफार्मर के जारी होने के बाद जले/खराब टांसफार्मर एक सप्ताह के अन्दर सर्किल स्टोर में जमा हो जाएं। अधीक्षण अभियन्ता–निरीक्षण एवं भण्डार द्वारा फारमेट में अंकित मोबाईल नम्बर पर उपभोक्ता व फीडर इंचार्ज से बात करने के बाद उपभोक्ता की जरुरत की पुष्टि करने के उपरान्त ही टांसफार्मर का आवंटन किया जाएगा।

टांसफार्मर के जारी होते ही उपभोक्ता और फीडर इंचार्ज को टांसफार्मर जारी होने के बारे में एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि इस प्रकिया से जिस उपभोक्ता के लिए टांसफार्मर जारी हुआ है उसका उपयोग अन्यत्र नही किया जा सकेगा और ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित शिकायतों पर विराम लग जाएगा।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 772/2018